20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (17)

न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4228-PBR/16

रमेश पिता छितु जाति खाती उम्र 50 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम कुवाली तह. मनावर जिला धार

......................निगरानीकर्ता

श्री -धामी-यादवेंदी अभि. द्वारा आज दि. 16/12/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16/12/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— अंतरसिंह पिता हेमसिह जाति राजपूत
निवासी ग्राम कुवाली तह. मनावर जिला धार

2— विद्याबाई बेवा मोहनसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम कुवाली तह. मनावर जिला धार

.........................विपक्षीगण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मनावर ने अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक/20/2014–15/अ–74 में आज्ञा दिनांक 08.06.2015 द्वारा यथाकथित विपक्षीगण अंतरसिंह व विद्याबाई की मांग वाजिब नही होते हुए कोई विधिक आधार न होते हुए अमान्य की सुखाचार के लिए तहसील में धारा 131 का आवेदन पत्र और उसकी ऐसी मुतफरिक अर्जी शिकायत स्वरूप की जो तत्संबंधी स्कोप में नही आती है इसलिए नायब तहसीलदार मनावर ने अ–74 के हेड में मामला दर्ज किया क्योकि वह मुतफरिक अर्जी थी अ–13 के हेड की अर्जी नही थी इसलिए दर्ज नही हुई है। ऐसी दशा में ऐसी मुतफरिक अर्जी पर से कोई आज्ञा दिनांक 08.06.2015 अपास्ति की निरीक्षण पर से विवाद जैसा विपक्षी क्रमांक 01 व 02 कहते है वह विवाद नही है वहां तो नाली है रास्ते की कहानी बिल्कुल काल्पनिक है अ–74 के हेड में दर्ज कर दिनांक 08.06.2015 को नायब तहसीलदार मनावर ने विधिक रूप से दर्ज की ऐसी शिकायत अर्जी जो अ–74 के हेड में दर्ज है उसकी अपील होती नही है। ऐसी दशा में अपील मेंटेनेबल नही थी विचार योग्य नही है ऐसी अविचारणीय अर्जी में जब स्वयं पूर्व के मूल न्यायालय ने मौका देखकर दोनो पक्षो की मोजुदगी में पंचनामा लिखा है वह गलत है यथाकथित प्रार्थी इस निगरानी के विपक्षी की कोई शिकायत नही है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी महोदय मनावर ने अपनी राजस्व अपील क्रमांक 14/2015–16 में दिनांक 01.10.2016 को आज्ञा दी है मनमानी बिना याचना के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4228/पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	